संख्याः–1685/71–2–17–4/2017

प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 20 मई, 2017

विषयः नीट पी0जी0, 2017 की काउंसिलिंग/प्रवेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–769/71–2–2017–4/2017, दिनांक 10.03.2017, संख्या–905/71–2–2017–4/2017, दिनांक 27.03.2017 तथा संख्या–1023/71–2–2017–4/2017, दिनांक 31.03.2017 द्वारा नीट पी0जी0 2017 की काउंसिलिंग/प्रवेश के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किए गये है।

2– स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–F.No.V.11011/1/2015-MEP, दिनांक 11.05.2017 एवं पत्र संख्या–V.12025/181/2016-DE, दिनांक 11.05.2017 तथा रिट पिटीशन (सिविल) संख्या–224/2017 एजुकेशन प्रमोशन सोसायटी बनाम भारत राष्ट्र व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.05.2017 के अनुपालन में आपके पत्र संख्या–एमई–3/2017/278, दिनांक 18.05.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नीट पी0जी0, 2017 (शैक्षणिक सत्र 2017–18) की काउंसिलिंग/प्रवेश के सम्बन्ध में अग्रेतर निम्नानुसार नीति–निर्धारित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

शासनादेश दिनांक 10.03.2017 द्वारा द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग दिनांक 13.05.2017 से प्रारम्भ करके दिनांक 27.05.2017 तक प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण किए जाने के निर्देश निर्गत दिए गये थे। उक्त शासनादेश दिनांक 10.03.2017 में उल्लिखित द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग के शिड्यूल तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा निर्गत नीट पी0जी0, 2017 की काउंसिलिंग से सम्बन्धित ब्रोशर को एतद्द्वारा संशोधित करते हुए द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग का शिड्यूल निम्नवत् निर्धारित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्यवाही का विवरण	शासनादेश दि0 10.03.2017 एवं ब्रोशर मे निर्धारित तिथि	यथासंशोधित तिथि
1	आवंटन पत्रों को डाउनलोड किए जाने की तिथि	20.05.2017 से 22.05.2017	द्वितीय काउंसिलिंग के पश्चात् आवंटन पत्रों को डाउनलोड किए जाने एवं प्रवेश लिए जाने की अंतिम तिथि 20.05.2017 से 23.05.2017 तक
2	द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित अभ्यर्थियों के प्रवेश की अंतिम तिथि	27.05.2017	

उपर्युक्तानुसार संशोधित कार्यक्रम सुसंगत वेबसाइट/विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित कराते हुए व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करें। कृपया इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

भवदीय,

20/05/17

(संजय कुमार उपाध्याय)
विशेष सचिव।

संख्या–1685 (1)/71–2–2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. कुलपति/कुलसचिव किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. कुलपति/कुलसचिव उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।
4. सचिव, मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया/डेण्टल काउंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली।
5. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ/डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
7. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/ विश्वविद्यालय/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन।
9. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
10. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)

अनु सचिव।